

विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग—2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार, 19 अक्टूबर, 2020 / 27, अश्विन, 1942 (शक)

संख्या-40

सदस्य की गिरफ्तारी

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली विधान सभा को पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश 13 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हुआ है:—

" दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा—65 के अंतर्गत में यह मेरा कर्तव्य है कि दिल्ली की विधान सभा के माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह को नई दिल्ली जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाये रखने के लिए हिरासत में लिये जाने का निर्देश दिया जाए।

तद्नुसार, उन्हें 12.10.2020 को पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पुलिस थाना क्षेत्र के जंतर—मंतर, टॉलस्टाय मार्ग से अपराह्न 01.45 बजे हिरासत में लिया गया तथा उसी दिन अर्थात् 12.10.2020 को अपराह्न 03.30 बजे मंदिर मार्ग पुलिस थाना नई दिल्ली से छोड़ दिया गया।

सी. वेलमुरूगन सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Monday, 19 October, 2020/27, Ashwin, 1942 (Shaka)

No. 40

DETENTION OF MEMBER

Hon'ble Members are hereby informed that following message has been received from Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi on 13 October, 2020:-

"I have found it my duty in the exercise of my powers under Section 65 of the Delhi Police Act, 1978 to direct that Shri Jarnail Singh, Hon'ble Member of Legislative Assembly of Delhi be detained for maintaining law and order and public peace in the area of New Delhi District.

Accordingly, he was detained on 12.10.2020 from Jantar Mantar, Tolstoy Marg in the area of Police Station Parliament Street, New Delhi at 01.45 PM and released at 03.30 PM on the same day i.e. on 12.10.2020 from Police Station Mandir Marg, New Delhi.